भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2391

(जिसका उत्तर सोमवार, 18 दिसंबर, 2023/27 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया गया)

राष्ट्रीय सीएसआर एक्सचेंज पोर्टल

2391. श्रीमती पूनम महाजनः

सुश्री देबाश्री चौधरीः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय सीएसआर एक्सचेंज पोर्टल के अंतर्गत कुल कितने कल्याण कार्यक्रम पंजीकृत हैं और उक्त पोर्टल पर अब तक कौन-कौन सी परियोजनाएं और कंपनियां चालू हैं;
(ख) क्या केंद्र सरकार उक्त पोर्टल के प्रचालन के दौरान कंपनियों और गैर-सरकारी संगठनों के समक्ष आ रही कठिनाइयों से अवगत है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है; और
(घ) क्या केंद्र सरकार ने पोर्टल के कार्यकरण को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क): जून, 2022 में, राष्ट्रीय सीएसआर एक्सचेंज पोर्टल को सीएसआर पात्र कंपनियों और कार्यान्वयन एजेंसियों को एक संवादात्मक मंच प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया था। यह पोर्टल हितधारकों को अपनी सीएसआर परियोजनाओं को स्वैच्छिक आधार पर सूचीबद्ध करने, उन्हें खोजने, उन पर संवाद करने, उन्हें तैयार करने और उनका प्रबंधन करने के लिए सक्षम बनाता है। इसके प्रारंभ से, 07.12.2023 तक 838 कंपनियों और 6,123 कार्यान्वयन एजेंसियों ने स्वयं को पोर्टल में रजिस्टर किया है। इसके अतिरिक्त, कंपनियों (सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र की कंपनियां) और कार्यान्वयन एजेंसियों को औपचारिक संप्रेषण भेज दिया गया है जिसमें उनसे पोर्टल पर ऑनबोर्ड होने का अनुरोध किया गया है। 07.12.2023 की स्थिति को, कंपनियों और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा क्रमशः कुल 34 प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) और 435 निधियों हेतु अनुरोध (आरएफएफ) फ्लोट किए गए हैं।

(ख) से (घ): पोर्टल में हितधारकों से ऑनलाइन फीडबैक प्राप्त करने की एक अंतर्निहित सुविधा है। मंत्रालय को डाटा सुधार, लॉगिन मुद्दे, पंजीकरण मुद्दे, तकनीकी सहायता और अन्य सामान्य प्रश्नों से संबंधित विभिन्न प्रश्न और सुझाव प्राप्त हुए हैं। आसानी से पोर्टल का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इन्हें एक समर्पित हैल्पडेस्क के माध्यम से हल किया गया है। इसके अतिरिक्त, हितधारकों द्वारा मुद्दों के स्व-निवारण के लिए एक विस्तृत एफएक्यू टैब भी प्रदान किया गया है।

*****